

## अध्याय VI

# चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों (चरण-II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

### 6.1 प्रस्तावना

किसी अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि और विकास में वित्तीय रिपोर्टिंग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग के कारण सोशल मोबिलिटी, वित्त के पूंजी और वस्तुओं सीमापार संचलन में वृद्धि हुई है, जिसने उच्च गुणवत्ता के वैश्विक लेखांकन मानकों के एकल सैट को आवश्यक बना दिया। ऐसे उच्च गुणवत्ता के सिद्धांत आधारित अंतराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अविर्भाव के साथ अंतराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) के द्वारा निर्धारित वैश्विक लेखांकन परिदृश्य में अन अद्धतित उच्च गुणवत्ता के आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखांकन मानकों के सम्मिलन की आवश्यकता महसूस की गई थी। आईएफआरएस के अंगीकरण या सम्मिलन से वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता आती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास, वृद्धि और दीर्घवृद्धि वित्तीय स्थायित्व द्वारा जनहित को पूरा करता है।

इसे ध्यान में रखते हुए कि देश के पास एक अच्छी प्रमाणित लेखांकन संरचना है, कोरपोरेट कार्यों के मंत्रालय, (एमसीए), भारत सरकार ने भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय आर्थिक और वैधिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए और आईएफआरएस मानकों से संबंध द्वारा अधिसूचित किया। इन्ड एएस आईएफआएस रूप में थे जोकि भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखांकित सिद्धांतों (आईजीएएपी) से मुख्यतः तीन पक्षों में भिन्न थे: अर्थात् उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप पर तात्पर्य और तुलनपत्र पर महत्व। ये इंडएएस 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा अपनाए जाने के लिए अनिवार्य हैं। 31 मार्च 2018 को 39 इंडएएस लागू हैं। एमसीए समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 में संशोधन के माध्यम से आईएफआरएस के साथ अभिसरण रखने के लिए इंडएएस में संशोधन करता है।

## 6.2 इंडएस का कार्यान्वयन

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाले चरण के रूप में इंडएस के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप जारी किया है जिसे नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

### (क) चरण I

निम्नलिखित कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2016 या उसके बाद की अवधियों की तुलना में लेखांकन अवधि के आरंभ में या 1 अप्रैल 2016 के वित्तीय विवरण हेतु इंडएस का पालन किया जाएगा:

- जिन कंपनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या जो भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया चल रही हैं और कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है।
- उपरोक्त के अंतर्गत कवर न की गई कंपनियों के अतिरिक्त जिन कंपनियों की कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है।
- होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या ऊपर कवर की गई कंपनियों की सहयोगी कंपनियां।

### (ख) चरण II

निम्नलिखित कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2017 या उसके बाद की अवधियों की तुलना में लेखांकन अवधि के आरंभ में या 1 अप्रैल 2017 के बाद वित्तीय विवरण हेतु इंडएस का पालन किया जाएगा:

- जिन कंपनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में और निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ से कम का है।
- पहले चरण में शामिल की गई कंपनियों के अलावा अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियां जिनकी कुल संपत्ति ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक है लेकिन ₹ 500 करोड़ से कम है।
- उपरोक्त सम्मिलित कंपनियों की होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

**(ग) बैंकिंग कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और बीमा कंपनियों के लिए लागू होना:**

इंडएएस के रूप में इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों और संपत्ति की स्थिति की सूचीबद्धता के आधार पर 1 अप्रैल 2018 या 1 अप्रैल 2019 से एनबीएफसी पर लागू होते हैं। बैंकिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों के लिए इंडएएस 1 अप्रैल 2018 से लागू होने थे, जिसे बैंकिंग कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2019<sup>49</sup> और बीमा कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2020 तक के लिए टाल दिया गया था।

**(घ) इंडएएस का स्वेच्छा से अपनाया जाना:**

कोई कंपनी 31 मार्च 2015 या उसके बाद की अवधि की तुलना में लेखांकन अवधि के आरंभ में या 1 अप्रैल 2015 के वित्तीय विवरण हेतु इंडएएस का पालन कर सकती है। हालाँकि, कोई कंपनी एक बार स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य रूप में इंडएएस के अनुसार रिपोर्ट करना शुरू करती है, तो वे आईजीएपी पर वापस नहीं लौट सकते।

**(ड) किसी भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक, सहायक या संयुक्त उद्यम और अन्य समान सत्त्व:**

ये इकाइयाँ विशिष्ट क्षेत्राधिकार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने एकल वित्तीय विवरण तैयार कर सकती हैं। हालाँकि, इन संस्थाओं को अभी भी समेकित इंडएएस के रूप में तैयार करने के लिए अपनी भारतीय मूल कंपनी के लिए अपने इंडएएस के रूप में समायोजित संख्या की रिपोर्ट देनी होगी।

### 6.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य चरण II में इंडएएस के कार्यान्वयन का अध्ययन यह निर्धारण करना था:

- (i) चरण-II में इंडएएस के रूप में अपनाने के समय पर सीपीएसई द्वारा इंडएएस के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन कितना किया गया था;
- (ii) सीपीएसई के वित्तीय वक्तव्यों में इंडएएस के कार्यान्वयन का प्रभाव।

<sup>49</sup> भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसे 1 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया है

#### 6.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अध्ययन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में 25 सीपीएसई शामिल हैं, जिन्हें द्वितीय चरण में इंडएएस के रूप में अपनाने की आवश्यकता थी या 2017-18 के दौरान स्वेच्छा से इंडएएस अपनाया गया था। उपरोक्त में 2 नई निगमित सीपीएसई शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2017-18 के लिए अपने पहले वित्तीय विवरणों में इंडएएस को अपनाया है। समीक्षा की गई सीपीएसई की सूची **परिशिष्ट-XXV** में दी गई है।

#### 6.5 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

सीपीएसई जिन्होंने द्वितीय चरण के तहत अंतर्गत इंडएएस के साथ-साथ नव निगमित सीपीएसई को अपनाया है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2017 से अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए 2017-18 में पहली बार इंडएएस को अपनाया है, के एकल वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। इंडएएस के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन और इनके राजस्व पर इन सीपीएसई में इंडएएस के कार्यान्वयन के प्रभाव, कर के बाद लाभ (पीएटी), निवल मूल्य और सीपीएसई की कुल संपत्ति का विश्लेषण परिवर्तन के संदर्भ में किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व पहचान, वित्तीय साधनों और संपत्ति का मूल्यांकन, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) कर्मचारी लाभ का आकलन और व्यावसायिक संयोजनों के लेखांकन के रूप में इंडएएस को अपनाया गया है।

#### 6.6 इंडएएस के पहली बार अपनाये जाने की समीक्षा

इंडएएस 101 के अनुसार, किसी सत्व के प्रथम इंडएएस यह दर्शाते हैं कि अपने सूचित तुलन-पत्र, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह को आईजीएपी से इंडएएस में पारगमन को कैसे प्रभावित किया। चरण-II में इंडएएस को अपनाने वाली कंपनियां आईजीएपी के अनुसार उसी तिथि पर इंडएएस के अनुसार इक्विटी के साथ 01 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 को रिपोर्ट की गई अपनी इक्विटी के सामंजस्य का प्रकटन करेंगी।

इंडएएस 101 इंडएएस के पूर्वव्यापी प्रयोग के सामान्य सिद्धांत के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य छूट को दर्शाता है। अनिवार्य अपवाद इंडएएस 10 - रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ, इंडएएस 109 वित्तीय दस्तावेज और इंडएएस 110 - समेकित वित्तीय विवरण के कुछ पहलुओं के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से संबंधित हैं।

वैकल्पिक छूट में निम्नलिखित शामिल हैं:

**(i) इंडएएस 103 - व्यापार संयोजन**

कंपनी पिछले व्यापार संयोजनों (व्यापार संयोजन जो इंडएएस के लिए पारगमन की तिथि से पहले हुआ था) के लिए इंडएएस 103 को लागू नहीं करने का चुनाव कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अध्ययन के तहत 25 सीपीएसई में से, ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पिछले व्यापार संयोजन के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू किया।

**(ii) इंडएएस 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

इंडएएस के पारगमन की तिथि पर, जैसाकि आईजीएपी के अनुसार आंका गया। वित्तीय विवरण में पहचाने गये इंडएएस अपनी संपत्ति, पौधों और उपकरणों (पीपीई) और अमूर्त संपत्ति के मूल्य को जारी रखने के साथ चुनाव करने के लिए पहली बार अपनाने को अनुमति देता है और देनदारियों समाप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तिथि पर इसकी अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करें। परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यहास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से मूल्यहास किया जाता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 25 सीपीएसई में से, 14 सीपीएसई ने लागत वहन करने के लिए पीपीई के मूल्य का विकल्प चुना, जबकि एक सीपीएसई (हसन मेंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड) ने उचित मूल्य के आधार पर पीपीई को चुना। इसके अतिरिक्त, एक सीपीएसई (हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड) ने फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर वहन लागत पर पीपीई के मूल्य का चयन किया जहां उचित मूल्य को ध्यान में रखा गया था।

**(iii) इंडएएस 27 - अलग वित्तीय विवरण**

वित्तीय विवरणों के मामले में इंडएएस-101 के डी14 और डी15 पैराग्राफ के अनुसार, इंडएएस 27 में, सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों में अपने निवेश के लिए एक इकाई की अपेक्षा होती है और या तो लागत या इंडएएस 39 से जुड़ा होता है। यदि पहली बार अपनाने वाला इंडएएस 27 के अनुसार लागत पर इस तरह के निवेश को आंकता है, तो यह उस निवेश को लागत पर या अलग-अलग प्रारंभिक इंडएएस तुलन पत्र के रूप में लागत पर आंकेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 4 सीपीएसई (एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन और एसटीसी लिमिटेड) ने वहन मूल्य/लागत मूल्य पर सहायक कंपनियों/सहयोगियों में निवेश को मापने का विकल्प चुना।

#### (iv) इंडएस 109 - वित्तीय दस्तावेज

इंडएस-101 किसी वित्तीय परिसंपत्ति को इंडएस के लिए पारगमन तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इंडएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति और एक इक्विटी साधन में निवेश करने के लिए एक इकाई को अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 5 सीपीएसई (हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड, ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने वहन मूल्य/लागत मूल्य पर इक्विटी का मूल्यांकन किया और दो सीपीएसई (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड) ने उचित मूल्य पर इक्विटी का मूल्यांकन किया।

### 6.7 2017-18 में निगमित कंपनियों द्वारा इंडएस अपनाया जाना

अध्ययन में शामिल 25 सीपीएसई में से, 2 सीपीएसई अर्थात् इरकॉन दावानागरे हावेरी हाईवे लिमिटेड और सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1 अप्रैल 2017 के बाद शामिल किया गया और पहली बार इंडएस को अपनाया गया। चूंकि इन कंपनियों ने पहली बार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे, इसलिए इंडएस का कोई प्रभाव नहीं था।

### 6.8 चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर इंडएस के कार्यान्वयन का प्रभाव

इंडएस विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन से कर के बाद लाभ (पीएटी), राजस्व, कुल परिसंपत्ति, और कुल संपत्ति के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता है। इंडएस के अपनाने के समय सीपीएसई द्वारा लिए गए विकल्पों के आधार पर मूल्य बढ़ या घट सकते हैं। इंडएस के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा और समीक्षा हेतु चयनित 23 सीपीएसई<sup>50</sup> के कार्यान्वयन का प्रभाव नीचे दिया गया है:

<sup>50</sup> 2017-18 में इंड एस अपनाने वाली 2 नई सीपीएसई को छोड़कर

### 6.8.1 कर के बाद लाभ (पैट) पर प्रभाव

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 से पहले या बाद की लेखांकन अवधि के लिए कर के बाद लाभ (पैट) पर इंडएस के अपनाने के प्रभाव, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 6.1: पैट पर इंडएस को अपनाने का सीपीएसई-वार प्रभाव

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पैट में कमी (₹ करोड़ में)	पैट में वृद्धि (₹ करोड़ में)	नेट प्रभाव (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड	-	1.04	1.04
2.	एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-3.14	2.74	-0.40
3.	ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-1.42	0.93	-0.49
4.	ब्रिज और रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	-	0.16	0.16
5.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	1.61	1.61
6.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-248.42	12.08	-236.34
7.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	2.06	2.06
8.	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-8.85	16.41	7.56
9.	नेशनल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.003	0.490	0.487
10.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-0.0020	0.0205	0.0185
11.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.10	0.13	0.03
12.	मेकॉन लिमिटेड	-1.71	0.02	-1.69
13.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-23.55	27.81	4.26
14.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	-0.96	1.52	0.56
15.	इंडिया टुरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	-112.56	111.72	-0.84
16.	एसटीसी लिमिटेड	-4.61	4.33	-0.28

इंडएएस अपनाने के कारण पीएटीमें अधिकतम वृद्धि और कमी क्रमशः इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में देखी गई।

### 6.8.2 पीएटी में वृद्धि/कमी के लिए योगदान करने वाले घटक

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन उद्यम के पीएटी को प्रभावित कर सकते हैं। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने संकेत दिया कि इंडएएस को अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के पीएटी की वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई थी:

#### (i) रोजगार लाभ के बाद लिए देनदारियों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण लाभ में वृद्धि

आईजीएपी के तहत वर्ष के लाभ या हानि का हिस्सा रोजगार के बाद देनदारियों के मापन के कारण होने वाले अंतर से बनता है। हालांकि इंडएएस के तहत, इस तरह के अंतर अर्थात् एकचुरियल लाभ या हानि और योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न को लाभ या हानि के बजाय 'अन्य व्यापक आय' के तहत मान्यता दी गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ने रोजगार के बाद के लाभों के प्रति देनदारियों लेखांकन की अलग-अलग पद्धति के कारण इंडएएस को अपनाने पर अपने लाभ में क्रमशः ₹ 1.04 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 1.24 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

#### (ii) आस्थगित करोंको स्वीकार करने के कारण लाभ में वृद्धि

इंडएएस 12 को लागू करना-आय कर को तुलन पत्र में किसी परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच नए अस्थायी अंतरों पर आस्थगित कर की मान्यता की आवश्यकता होती है। आईजीएपी के अंतर्गत यह एक आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एसटीसी लिमिटेड ने इंडएएस-12 में निर्धारित आस्थगित कर की पहचान की नई पद्धति के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 1.08 करोड़, ₹ 0.04 करोड़, ₹ 0.03 करोड़ और ₹ 1.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

#### (iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश मापन के कारण लाभ में वृद्धि

आईजीएपी के तहत सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को लागत पर आंका जाता है, जबकि इंडएएस के तहत, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय



देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर लागू करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड के लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश के मापन के परिणामस्वरूप कर के बाद लाभ में क्रमशः ₹ 0.31 करोड़ और ₹ 1.04 करोड़ की वृद्धि हुई।

#### (iv) अन्य कारणों से लाभ में वृद्धि

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड पूर्व अवधि मद और ने दीर्घावधि प्राप्त के पुनः मापन पर लाभ के कारण लाभ में क्रमशः ₹ 1.31 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के मामले में, पीएटीमें कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमा की मान्यता के कारण ₹ 0.16 करोड़ की राशि बढ़ गई, जिसे इंडएएस 107 और इंडएएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर फिर से आंका गया है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कर्मचारी लाभ/ ऋण और सुरक्षा जमा और पीएंडएल खाते से ली गई। आस्थगित आय के कारण क्रमशः पैट में ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 0.13 करोड़ और ₹ 11.84 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। हसन मँगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पीएटी में ₹ 2.65 करोड़ और ₹ 13.76 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की, जो कि ओवरहेड्स के उचित मूल्य के बीच अंतर को पहचान कर, देय और नोमिनल मूल्य को अनार्जित राजस्व के रूप में और उक्त को स्ट्रेट लाईन मथैड पर अन्य आय के आधार पर क्रमशः पुनः चुकाने की अवधि और पारगमन की तिथि से रियायत समझौते की शेष अवधि में फ्रेट शेयरिंग अधिकारों पर मूल्यहास/ परिशोधन पुनः गणना द्वारा पहचानता है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज, केपीटल वर्क-एन-प्रोग्रेस में पूंजीगत कर्मचारी लाभ और अन्य इक्विटी में शेयर ईश्यू व्यय की पहचान के संबंध में क्रमशः ₹ 0.30 लाख, ₹ 0.25 करोड़ और ₹ 0.20 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने वर्क-मैन प्राप्त और सुरक्षा जमा पर राष्ट्रीय हित के कारण लाभ में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की और मेकॉन लिमिटेड ने पुनर्मूल्यांकन कार्य के परिणामस्वरूप लाभ में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में पैट में वित्तीय लागत, अमूर्त लागत, अघोषित राजस्व, व्यापार प्राप्तियों के प्रति प्रावधान का रिवर्सल और वारंटी शुल्कों के प्रति प्रावधान का रिवर्सल होने के कारण ₹ 13.16 करोड़, ₹ 9.90 करोड़, ₹ 3.95 करोड़ और ₹ 0.80 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी पैट में सुरक्षा जमा प्राप्त पर छूट देने पर ब्याज कारक आस्थगित राजस्व आय में पहचाने गये ब्याज कारक का परिशोधन लीजहोल्ड भूमि पर मूल्यहास में कमी और आस्थगित आय से पहचानी गई आय पहचान के संबंध में क्रमशः ₹ 0.27 करोड़, ₹ 1.00 करोड़, ₹ 0.06 करोड़ और ₹ 0.16 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, इंडिया टुरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अन्य को किये गये भुगतान और विद्युत वसूली की वापसी और इंडएएस के अनुसार

उचित मूल्य मापन प्रभाव के संबंध में पैट में क्रमशः ₹ 106.93 करोड़, ₹ 4.93 करोड़ और ₹ 1.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज की और पूर्व अवधि व्यय को बढ़े खाते में डालने के संबंध में ₹ 2.14 करोड़ की वृद्धि एसटीसी लिमिटेड ने दर्ज की।

इंडएएस को अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के पैट में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:

**(i) आस्थगित करों को स्वीकार करने के कारण लाभ में कमी**

इंडएएस 12 को लागू करना- आयकर को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति या देयता और उसके कर आधारकी राशि को नए अस्थायी अंतर के बीच आस्थगित कर की पहचान की आवश्यकता है। आईजीएपी के तहत यह एक आवश्यकता नहीं थी। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हसन मेंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और इंडिया टुरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी के लाभ में इंडएएस अपनाने के समय आस्थगित कर की पहचान के कारण क्रमशः ₹ 248.42 करोड़, ₹ 4.71 करोड़, ₹ 2.29 करोड़ और ₹ 0.33 करोड़ की कमी हुई।

**(ii) पश्च रोजगार लाभों के प्रति देनदारियों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण लाभ में कमी**

आईजीएपीके अंतर्गत, पश्च रोजगार लाभ के प्रति देयता में परिवर्तनों का मूल्य वर्ष हेतु लाभ या हानि का भाग बनाता है जबकि इंडएएस के अंतर्गत ऐसा मूल्यांकन अर्थात् एकचूरियल लाभ और हानि और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर रिटर्न लाभ या हानि की अपेक्षा अन्य विस्तृत आय के अंतर्गत पहचाने जाते हैं। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और हसन मेंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा में पाया गया कि पश्च रोजगार लाभ के लिए देनदारियों के मूल्यांकन परिवर्तन के कारण कंपनी के लाभ में क्रमशः ₹ 2.77 करोड़, ₹ 0.39 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ की कमी हुई। रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एसटीसी लिमिटेड ने पैट में पश्च रोजगार लाभ के लिए देनदारियों में वृद्धि के कारण क्रमशः ₹ 0.10 करोड़, ₹ 0.29 करोड़, ₹ 0.02 करोड़ और ₹ 3.51 करोड़ की कमी दर्ज की है।

**(iii) अन्य कारण से लाभ में कमी**

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य नॉन-करंट देयता में टीबोर्ड की बुकिंग के परिणामस्वरूप एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लाभ में ₹ 0.37 करोड़ तक कमी आई। हसन मेंगलोर

रेल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रभावी ब्याज दर विधि के आधार पर सावधि जमा पर देयता की पुनः देय अवधि और ब्याज की पुनः गणना पर देय आस्थगित ओवरहेड पर राष्ट्रीय हित व्यय के रूप में पहचान कर क्रमशः ₹ 4.07 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ की पैट में कमी दर्ज की। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लाभ में सुरक्षा जमा पर स्थगित प्रीपेड खर्चों के परिशोधन के कारण ₹ 0.003 करोड़ की कमी आई और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा जमा, दरों और करों, मजदूरी और पूर्व साल के खर्च के कारण खर्चों में वृद्धि के लिए ₹ 0.0020 करोड़ की कमी हुई। खर्च के प्रावधानों में वृद्धि के कारण मेकॉन लिमिटेड ने भी लाभ में ₹ 1.71 करोड़ की कमी दर्ज की। लेखापरीक्षा में आगे कहा गया कि हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में पीएटी में ठेकेदारों से जमा राशि और लीजहोल्ड भूमि के परिशोधन के लिए संबंधित वित्त लागत में क्रमशः ₹ 20.91 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ की कमी आई है। सोलर इनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आस्थगित लीजरेंट व्यय के परिशोधन, लीज रेंट आस्थगित राजस्व व्यय में पहचाने गये ब्याज कारक के परिशोधन में वृद्धि, निष्पादन गारंटी जमा पर छूट देना और केपीटल परिसंपत्ति की लागत से केपीटल ग्रांट के गैर-समायोजन के कारण हुए व्यय से क्रमशः ₹ 0.06 करोड़, ₹ 0.29 करोड़, ₹ 0.36 करोड़ और ₹ 0.23 करोड़ की कमी पीएटी में दर्ज की। इसके अलावा, एसटीसी लिमिटेड ने वित्त लागत और असाधारण व्यय के कारण पीएटी में ₹ 0.97 करोड़ और ₹ 0.13 करोड़ की कमी दर्ज की और इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ने पीएटी में दूसरों के खाते में प्राप्त राजस्व की वापसी और क्रमशः बिजली की वसूली की वापसी होने के कारण क्रमशः ₹ 106.93 करोड़ और ₹ 4.93 करोड़ की कमी दर्ज की।

### 6.8.3 राजस्व की बुकिंग पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव

इंडएएस 18 - राजस्व राजस्व के लेखांकन के लिए लागू इंडएएस है। इंडएएस 18 के तहत 'राजस्व' की परिभाषा में सभी आर्थिक लाभ शामिल हैं जो एक इकाई की गतिविधियों की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नेट वर्थ प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा अन्य निवलपूंजी में वृद्धि होती है। आईजीएपीके अनुसार, राजस्व (एएस 9 - राजस्व मान्यता), हालांकि, माल की बिक्री सेवाओं के प्रतिपादन से, और ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश देने वाले उद्यम संसाधनों के अन्य द्वारा उपयोग से, एक उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान प्राप्त होने वाला नकद, प्राप्य या अन्य स्रोत को अंतः सकल प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है।

चयनित सीपीएसई में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 के आरंभ या समाप्त होने के बाद लेखांकन अवधि के लिए राजस्व की बुकिंग पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.2: राजस्व पर इंडएएस के परिशोधन का सीपीएसई-वार प्रभाव

क्र. सं.	सीपीएसईका नाम	राजस्व में कमी (₹ करोड़ में)	राजस्व में वृद्धि (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-	1.45	1.45
2.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-	0.42	0.42
3.	काँटन इंडिया लिमिटेड	-	218.86	218.86
4.	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	-0.005	-	-0.005
5.	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-	29.46	29.46
6.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-0.0020	0.0205	0.0185
7.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-1.31	9.90	8.59
8.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	-0.27	-	-0.27
9.	इंडिया टुरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-111.86	1.15	-110.71

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व में ₹ 218.86 करोड़ की अधिकतम वृद्धि काँटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में देखी गई, जबकि भारत टुरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में राजस्व में ₹ 111.86 करोड़ की कमी देखी गई।

#### 6.8.4 राजस्व में वृद्धि/कमी के लिए जिम्मेदार घटक

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के राजस्व में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से थी:

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिचालन गतिविधियों से हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड ने राजस्व में ₹ 1.45 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है और ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अन्य स्रोतों से आय के कारण ₹ 0.42 करोड़ की राजस्व में वृद्धि दर्ज की। इंडएएस 18 के अनुसार राजस्व पहचान के लिए लेखांकन नीति में बदलाव के कारण, काँटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ₹ 218.86 करोड़ की राशि के परिचालन से राजस्व में वृद्धि दर्ज की। हसन मँगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने परियोजना परिसंपत्तियों के तहत निर्माण और उसके बाद परियोजना परिसंपत्तियों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सेवा रियायत समझौतों के तहत निर्माण अनुबंध लागत की पहचान के कारण राजस्व में ₹ 29.46 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। वर्कमैन प्राप्य और सुरक्षा जमा पर अनुमानित ब्याज के कारण, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने राजस्व में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के राजस्व में अघोषित राजस्व के कारण ₹ 9.90 करोड़ की वृद्धि थी। इंडिया टुरिज्म

डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन में, इंडएएस के अनुसार उचित मूल्य मापन प्रभाव के कारण राजस्व में ₹ 1.15 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के राजस्व में कमी का कारण पूर्व अवधि त्रुटि थी जबकि चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड ने राजस्व में ₹ 0.50 लाख की कमी दर्ज की। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को सुरक्षा जमा, दरों और करों, मजदूरी और पूर्व वर्ष के खर्चों के कारण खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व में ₹ 0.20 लाख की कमी हुई। इसके अलावा, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के राजस्व में परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों के मापन और राजस्व आय से समायोजित ग्राहक को अनुमत छूट के कारण ₹ 1.31 करोड़ और ₹ 0.27 करोड़ की राशि की कमी हुई, इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन राजस्व में अन्य और विद्युत वसूली वापसी के कारण राजस्व वापसी के कारण राजस्व में क्रमशः ₹ 106.93 करोड़ और ₹ 4.93 करोड़ की कमी आई।

#### 6.8.5 कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव

इंडएएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), इंडएएस 38, अमूर्त परिसंपत्ति, इंडएएस 32 - वित्तीय दस्तावेजः, प्रस्तुतीकरण, इंडएएस 109 - वित्तीय दस्तावेज और इंडएएस 40 - निवेशसंपत्ति के अंतर्गत आईजीएपी की तुलना में निर्धारित लेखांकन पद्धतियों में अंतर के कारण इंडएएस के कार्यान्वयन पर परिसंपत्तियों के कुल मूल्य प्रभावित किया।

इंडएएस को प्रथम बार अपनाने के संबंध में इंडएएस 101 इंडएएस के पारगमन की तिथि पर आईजीएपी के अंतर्गत आंकी गई वित्तीय विवरण के पहचाने जाने के रूप में अपनी सभी पीपीई के वहन मूल्य को और देयता रोकने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तिथि पर इसकी अनुमानित लागत के वहन मूल्य जारी रखने के निर्णय के लिए प्रथम बार स्वीकारकर्ता को अनुमत करता है। यह छूट इंडएएस 38 - अमूर्त परिसंपत्ति और इंडएएस 40 - निवेश संपत्ति के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्ति के मूल्यांकन के लिए भी प्रयोग की जा सकती है।

चयनित सीपीएसई में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 को आरंभ या उसके बाद की अवधि के लिए कुल संपत्ति के मूल्य पर इंडएएस के अपनाने का प्रभाव इस प्रकार है:

तालिका 6.3: कुल परिसंपत्ति के मूल्य पर इंडएएस के अपनाने का सीपीएसई वार प्रभाव

क्र.सं.	सीपीएसईकानाम	कुल परिसंपत्ति के मूल्य में कमी (₹ में करोड़)	कुल परिसंपत्तियों के मूल्यमें वृद्धि (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बस लिमिटेड	-	29.96	29.96
2.	एंड्र्यू यूल् एंड कंपनी लिमिटेड	-0.02	3.11	3.09
3.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-73.86	4.85	-69.01
4.	ब्रिज और रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	-0.74	-	-0.74
5.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-9.39	20.04	10.65
6.	हिंदुस्तान कार्बनिक कैमीकल लिमिटेड	-583.07	1696.18	1113.11
7.	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	-15.19	33.85	18.66
8.	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-0.03	29.26	29.23
9.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.02	0.35	0.33
10.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-	0.0285	0.0285
11.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	4.67	4.67
12.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-36.15	-	-36.15
13.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	-2.54	-	-2.54
14.	इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन	-0.01	-	-0.01
15.	एसटीसी लिमिटेड	-314.32	313.29	-1.03

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में कुल परिसंपत्ति के मूल्य में ₹ 1113.11 करोड़ का अधिकतम निवल प्रभाव (वृद्धि) देखा गया, जबकि परिसंपत्ति के कुल मूल्य में

₹ 69.01 करोड़ का अधिकतम निवल प्रभाव (कमी) ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में देखा गया।

#### 6.8.6 कुल परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि/कमी के लिए जिम्मेदार घटक

चयनित सीपीएसई की कुल परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे:

हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड और एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में भूमि की गणना और उचित मूल्य पर निवेश के कारण क्रमशः ₹ 29.96 करोड़ और ₹ 3.11 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने निवेश और आस्थगित कर परिसंपत्तियों के कारण क्रमशः ₹ 0.08 करोड़ और ₹ 4.77 करोड़ की कुल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि दर्ज की। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में उप-ऋण और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज व्यय के पूंजीकरण और कर्मचारी लाभ, सुरक्षा जमा और प्रबंधन शुल्क के उचित मूल्यांकन के लिए किए गए पूर्व भुगतान में विभाजन के कारण क्रमशः ₹ 10.76 करोड़ और ₹ 9.27 करोड़ की वृद्धि देखी गई। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने कुल परिसंपत्ति के मूल्य में, उचित मूल्य पर भूमि के पुनर्मूल्यांकन और परिभाषित लाभ योजना में परिवर्तन के कारण क्रमशः ₹ 1687.45 करोड़ और ₹ 8.73 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड ने कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में गैर परिशोधित व्यय के अंतर्गत प्राथमिक व्यय, नॉन-करंट परिसंपत्ति से करंट परिसंपत्ति का पुनः वर्गीकरण, नॉन-करंट परिसंपत्ति में वृद्धि, करंट वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में नकद और नकद समराशि का पुनः वर्गीकरण और पार्टियों से करंट परिसंपत्तियों की वसूली के रूप में क्रमशः ₹ 0.71 करोड़, ₹ 1.28 करोड़, ₹ 14.57 करोड़, ₹ 15.97 करोड़ और ₹ 1.32 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। हसन मेंगलोर रेल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में इंडएस 11 के अनुसार कम मूल्यहास/मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन के दावे तथा पारगमन तिथि से रियायत समझौते की शेष अवधि पर एसएलएम आधार प्रयोग करते हुए मालभाड़ा शेयरिंग अधिकार पर मूल्यहास/परिशोधन की पुनः गणना के कारण ₹ 29.26 करोड़ राशि की वृद्धि देखी गई। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कुल परिसंपत्तियों में मूल्य में सीडब्ल्यूआईपी (पूर्वअवधि व्यय, शेयर ईश्यू व्यय पर आस्थगित कर की पहचान, नॉन-करंट भाग का उचित मूल्य समायोजन (वहन मूल्य और प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य में अंतर) और करंट भाग (वहन मूल्य और प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य में अंतर) के उचित मूल्य समायोजन में व्यय के पूंजीकरण के कारण क्रमशः ₹ 0.29 करोड़, ₹ 0.04 करोड़, ₹ 0.01 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ की राशि की वृद्धि देखी गई। लेखापरीक्षा ने कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिभूति जमा पर लीज के अंतर्गत भूमि और अनुमानित ब्याज के

निवारण में परिवर्तन के कारण स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कुल परिसंपत्तियों के मूल्य ₹0.03 करोड़ और ₹ 0.002 करोड़ राशि की वृद्धि देखी। इसके अतिरिक्त, रांची अशोक बिहार हॉटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में पूंजीकरण के पारंपरिक केंद्र के संबंध में ₹ 4.67 करोड़ की वृद्धि हुई। इसे अतिरिक्त, निवेश संपत्ति में वर्गीकृत पीपीई के संबंध में एसटीसी लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 313.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

इंडएएस अपनाते के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई की कुल संपत्ति के मूल्य में कमी निम्नलिखित कारणों से थी:

- एंड्रयू यूल्स एंड कंपनी लिमिटेड ने गैर वर्तमान व्यापार प्राप्तियों पर छूट के कारण ₹0.02 करोड़ की कमी की सूचना दी।
- ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने क्रमशः व्यापार प्राप्य और अन्य कारकों के कारण क्रमशः ₹ 5.20 करोड़ और ₹ 68.66 करोड़ की कमी दर्ज की।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता के लिए नीति में बदलाव के लिए और उचित मूल्य, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड में वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनःमूल्यांकन में क्रमशः ₹ 0.17 करोड़ और ₹ 0.57 करोड़ की कमी दर्ज की गई।
- महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन के प्रभाव, वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए विदेशी ऋण पर एकल प्रबंधन फीस के प्रभाव, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए कर्मचारियों को दिये गये ऋणों के निष्पक्ष मूल्यांकन, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए सुरक्षा जमा के निष्पक्ष मूल्यांकन के कारण क्रमशः ₹ 0.09 करोड़, ₹ 8.64 करोड़, ₹ 0.38 करोड़ और ₹ 0.27 करोड़ की राशि दर्ज की।
- हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने राज्य सरकार से भूमि की बिक्री, और आस्थगित कर देयताओं और वैट की वापसी के कारण क्रमशः ₹ 379.40 करोड़, ₹ 199.86 करोड़ और ₹ 3.81 करोड़ की कमी दर्ज की।
- चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड ने वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में नकद और नकद समकक्षों के पुनर्वर्गीकरण के रूप में कुल परिसंपत्ति के मूल्य में ₹ 15.19 करोड़ की कमी दर्ज की।
- हसन मेंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में प्रभावी ब्याज दर पद्धति के आधार पर सावधि जमाओं पर ब्याज की पुनः गणना के कारण ₹ 0.03 करोड़ की राशि में कमी देखी गई।



- प्रतिभूति जमा के उचित मूल्यांकन के कारण ₹ 0.02 करोड़ की राशि से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कमी देखी गई।
- हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ग्राहकों की जमा राशि, अचल परिसंपत्ति के लिए लीजहोल्ड भूमि की मान्यता, व्यापार प्राप्ति के प्रावधान, कराधान और आस्थगित कर परिसंपत्ति के लिए प्रावधान के संबंध में ₹ 5.28 करोड़, ₹ 0.18 करोड़, ₹ 12.37 करोड़, ₹ 16.94 करोड़ और ₹ 1.38 करोड़ की राशि की कमी आई।
- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी लीजहोल्ड भूमि की गैर-मान्यता, नॉन-करंट सुरक्षा जमा प्राप्य के मूल्य में कमीके कारण कुल संपत्ति में क्रमशः ₹ 1.77 करोड़ और ₹ 0.77 करोड़ की कमी दर्ज की।
- एसटीसी लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ने क्रमशः इंडएएस के अनुसार निवेश संपत्ति और उचित मूल्य मापन प्रभाव पर विचार करने के कारण क्रमशः ₹ 314.04 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ की कमी दर्ज की।

#### 6.8.7 निवल मूल्य के आधार पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव

निवल मूल्य परिसंपत्ति के मूल्य और किसी कंपनी की देनदारियों के बीच का अंतर है। निवल मूल्य (इक्विटी) शेयर कैपिटल का भुगतान, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते के कुल मूल्य, संचित घाटे, आस्थगित व्यय और विविध खर्चों के औसत मूल्य से कम करके किया जाता है। फ्री रिजर्व में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन मूल्यहास और समामेलन की वापसी से सृजित रिजर्व शामिल नहीं हैं।

इंडएएस तुलन पत्र खोलने में किसी सत्व की लेखांकन नीतियां आईजीएपी को प्रयोग करते हुए उक्त तिथि के लिए प्रयुक्त हो रही नीतियों से अलग हो सकती है। चयनित सीपीएसई में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 या बाद में प्रारंभ लेखांकन के लिए निवल मूल्य पर इंडएएस की अपनाने का प्रभाव अग्रलिखित है:

तालिका 6.4: निवल मूल्य पर इंडएएस अपनाने का सीपीएसई-वार प्रभाव

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निवल मूल्य में कमी (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य में वृद्धि (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड		49.75
2.	एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-110.73	
3.	ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-52.50	

4.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड (इंडिया)	-0.80	
5.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-1.12	
6.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-5.29	
7.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-270.00	
8.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	18.06
9.	राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0.29
10.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-0.0251	-
11.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.16	-
12.	मेकॉन लिमिटेड	-1.69	-
13.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-	0.41
14.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	-	1.19
15.	इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन	-16.91	-
16.	एसटीसी लिमिटेड	-1.10	-

निवल सम्पत्ति में अधिकतम ₹ 49.75 करोड़ की वृद्धि हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स में देखी गई जबकि निवल सम्बन्धित में अधिकतम कमी ₹ 270.00 करोड़ की कमी हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में देखी गई।

#### 6.8.8 निवल सम्पत्ति में वृद्धि/कमी के लिए उत्तरदायी घटक

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई की निवल सम्पत्ति में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से थी:

- हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड के निवल मूल्य में ₹ 49.75 करोड़ की वृद्धि फ्रीहोल्ड भूमि के उचित मूल्यांकन के कारण हुई थी।
- एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 0.65 करोड़ की राशि की वृद्धि निवेश में वृद्धि के कारण हुई थी।
- ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 16.03 करोड़, ₹ 0.05 करोड़ और ₹ 4.26 करोड़ की राशि की वृद्धि क्रमशः प्रस्तावित लाभांश और कर, परिशोधित लागत पर बांड मूल्य और आस्थगित कर पर प्रभाव के कारण हुई थी।
- अत्यधिक मूल्यहास के प्रभाव के लिए, हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड ने ₹ 0.13 करोड़ तक की निवल सम्पत्ति में वृद्धि रिकार्ड की।

- कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवल मूल्य में वृद्धि ₹ 13.84 करोड़ की पूर्वविधि मदों के समायोजन और ₹ 4.22 करोड़ के लाभांश पर लाभांश और कर के समायोजन के कारण दर्ज की।
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निवल सम्पत्ति में ₹ 0.40 लाख, ₹ 0.03 लाख और ₹ 0.246 करोड़ की वृद्धि क्रमशः शेयर इश्यू व्यय पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता, प्रतिभूति जमा पर छूट देने और सीडब्ल्यूआईपी में व्ययों के पूंजीकरण के कारण दर्ज की।
- हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 0.41 करोड़ की वृद्धि विभिन्न घटकों अर्थात् ग्राहकों/ठेकेदारों से परिशोधित लागत पर जमा कर मापन और बिल न किए गए राजस्व का प्रभाव और विभिन्न अन्य कारक जिसके परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति में कमी अर्थात् ट्रेड प्राप्यों पर हानि भत्ता, वारंटी प्रभारों के लिए प्रावधान, पट्टाभूमि का परिशोधन, पूर्वावधि त्रुटियां और उपरोक्त समायोजनों का कर प्रभाव के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति में वृद्धि हुई।
- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी ₹ 1.19 करोड़ तक की निवल सम्पत्ति की वृद्धि उचित मूल्य/परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को मान्यता, पट्टाभूमि का मूल्यहास और उस पर आस्थगित कर और आस्थगित राजस्व सरकारी अनुदान के परिशोधन के कारण रिकार्ड की गई।

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई की निवल मूल्य में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:

- एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ने ₹ 2.89 करोड़, ₹ 3.75 करोड़, ₹ 0.10 करोड़, ₹ 0.22 करोड़, ₹ 1.10 करोड़ और ₹ 103.32 करोड़ की राशि की कुल सम्पत्ति की कमी क्रमशः पूर्वविधि त्रुटियों में सुधार, आस्थगित कर देयता में वृद्धि, कम मूल्य पर ट्रेड प्राप्यों पर विचार, पूंजीगत अग्रिम का समायोजन, टी बोर्ड आर्थिक सहायता का पुनः वर्गीकरण और धारक संयंत्रों पौधों के रिज़र्व पुनर्मूल्यांकन के समायोजन के कारण से हुई थी।
- ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 68.13 करोड़ और ₹ 4.71 करोड़ की राशि की निवल सम्पत्ति की कमी क्रमशः परिसम्पत्तियों की मान्यता रद्द करना और प्रत्याशित क्रेडिट हानि विधि के अनुसार हानि भत्ते के कारण दर्ज की।

- ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड ने ₹ 0.17 करोड़, ₹ 0.97 लाख, ₹ 0.56 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ की राशि की निवल सम्पत्ति में कमी क्रमशः पट्टा भूमि और परिवर्तन तिथि पर पट्टे के अधीन भवन की मान्यता, उचित मूल्य पर कार्मिक ऋण के पुनःमापन, उचित मूल्य पर नॉन करंट वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनः मापन और प्रत्याशित क्रेडिट हानि का उपयोग कर ट्रेड प्राप्ियों के संबंध में हानि की गणना के कारण थी।
- आस्थगित कर और आंकलनोंमें परिवर्तन के प्रभाव के लिए हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड ने निवल सम्पत्ति में क्रमशः ₹ 0.25 करोड़ और ₹ 1.00 करोड़ की कमी दर्ज की।
- महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 5.29 करोड़ की कमी उचित मूल्यांकन और अन्य प्रभावों के कारण हुई थी।
- प्रेफरेंश शेयर पूंजी के शेयर पूंजी के बजाय चालू वित्तीय देयता हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेडमें निवल सम्पत्ति में ₹ 270 करोड़ की कमी पाई गई।
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रतिभूति जमा पर आस्थगित पूर्वदत्त व्ययों के परिशोधन के कारण निवल सम्पत्ति में ₹ 0.30 लाख की कमी दर्ज की।
- स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड ने निवल संपत्ति में ₹ 0.03 करोड़, ₹ 2.16 करोड़ और ₹ 1.69 करोड़ की कमी दर्ज की जिसका कारण क्रमशः पट्टा भूमि के प्रबंधन में परिवर्तन, अवधि के दौरान हानि और निवल लाभ में कमी थी।
- इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने निवल सम्पत्ति में ₹ 16.91 करोड़ की कमी दर्ज की जिसका कारण लाभांश पर कर के साथ प्रस्तावित लाभांश में परिवर्तन, वित्तीय परिसम्पत्तियों/देयताओं का परिशोधन, आस्थगित कर और पूर्वावधि मदों का समायोजन था।
- इसके अतिरिक्त, एसटीसी लिमिटेड में पूर्वावधि त्रुटि के समायोजन और मूल्यहास समायोजन के कारण ₹ 1.10 करोड़ की निवल संपत्ति में कमी देखी गई।

## 6.9 निष्कर्ष

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना में परिवर्तन, एतिहासिक लागत मूल्यांकन के रूप में उचित मूल्यांकन का प्रयोग हुआ। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि चरण-II में इंडएएस अपनाने से चयनित सीपीएसई के कर पश्चात् लाभ के मूल्य, कुल परिसंपत्ति और निवल संपत्ति पर प्रभाव पड़ा। इंडएएस के तहत राजस्व की

मान्यता की विधि में परिवर्तन ने भी उन सीपीएसई जिन्होंने चरण-II में इंडएस अपनाया था मान्यता प्राप्त राजस्व को भी प्रभावित किया। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों में परिवर्तन को प्रकट उद्घोषित किया गया है। संबंधित सीपीएसई के निष्पादन और वित्तीय स्थिति आकलन के समय परिवर्तनों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।